लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1725

जिसका उत्तर बुधवार, 30 जुलाई, 2025 को दिया जाएगा

आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें

1725. श्री थरानिवेंथन एम.एस.
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को चावल, दालें, प्याज और टमाटर जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा विशेषकर देश के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक से अतिरिक्त स्टॉक जारी करने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में 566 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चावल, दालें, प्याज और टमाटर सहित 38 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। आँकड़ों के अनुसार, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में हैं।

(ख) सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। समिति नियमित आधार पर, आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य रुझानों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार बाजार में कीमतों को कम करने के लिए अंशाकिंत और लक्षित रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप के लिए दालों और प्याज के बफर स्टॉक बनाए रखती है। बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को 2023-24 और 2024-25 के दौरान भारत दाल ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया गया। इसी तरह, आटा और चावल भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर वितरित किए जाते हैं। थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज को अंशाकिंत और लक्षित तरीके से सितंबर से दिसंबर, 2024 के दौरान जारी किया गया था। प्रमुख उपभोग केंद्रों में स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम पर वितरित किया गया था। सरकार घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रही है और खाद्य तेलों की कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है तथा उपभोक्ताओं के लिए इन वस्तुओं को किफायती बनाने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

इन उपायों से आम उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है और जून, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति दर को वर्ष-दर-वर्ष (-) 1.06% तक लाने में मदद मिली है, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है।

(ग) एवं (घ): मूल्य वृद्धि की स्थिति में निपटान के लिए रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है, जिसमें हस्तक्षेप की मात्रा और समय, प्रचलित बाजार स्थितियों के अनुरूप होता है।

*****